# न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

**रूक्मणि रियार सिहाग**
आई.ए.एस.

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 127/अपील/15 | 04.11.2015 | 20.11.2019 |

रामगोपाल आ0 रामदेवा जाति मीणा निवासी बहादूरपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती जमना बाई पुत्री रामदेव पत्नी मदनलाल जाति मीणा, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, पुराना माटून्दा रोड, बून्दी
2. श्रीमती कान्ता बाई पुत्री रामदेव पत्नी संग्राम सिंह जाति मीणा, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, पुराना माटून्दा रोड, बून्दी
3. श्रीमती सुमित्रा बाई पुत्री रामदेव पत्नी हजारीलाल जाति मीणा, निवासी सुभाष नगर, नैनवां रोड़, बून्दी
4. मृतक श्रीमती हजारी बाई बेवा रामदेव जाति मीणा, नि.बहादूरपुरा (मृतक का अपील में से नाम विलोपित किया गया)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी (राज0)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 2, 3, 4 की ओर से श्री जुगराज गुर्जर, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 5 की ओर से पेरोकार सरकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

# निर्णय

यह अपील तहसीलदार, बून्दी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 352 दिनांक 20.01.2007 ग्राम बहादूरपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार रामदेव मीणा के फौत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर, अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 4 हजारीबाई बेवा रामदेव मीणा की मृत्यु हो जाने से दिनांक 27.8.19 को अपील में से नाम डिलिट किया गया। रेस्पो.सं.1 द्वारा पेश प्रा.पत्र मूल अपील की सुनवाई से पूर्व मियाद के बिन्दू पर सुने जाकर निर्णय किये जाने बाबत सुना गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र रेस्पो.सं.1 स्वीकार किया गया तथा अपील सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निर्णित की गई।

तत्पश्चात् बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 69 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा, ख.सं. 70 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा, ख.सं. 73 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, ख.सं. 77 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा, ख.सं. 148 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख.सं. 149 रकबा 07 बिस्वा, ख.सं. 150 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 54 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम बहादूरपुरा, तहसील बून्दी में विस्थित है, वर्तमान में उक्त भूमि में अपीलांट एवं रेस्पो.सं.1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त कृषि भूमि पर पूर्व में अपीलांट एवं रेस्पों.सं.1 लगायत 3 के पिता एवं रेस्पो.सं.4 के पति रामदेव आ0 सरवण जाति मीणा हिस्सा 1/2 पर खातेदार दर्ज रेकार्ड थे। उक्त खातेदार रामदेव मीणा अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। ऐसे में अनुसूचित जनजाति के पुरूष उत्तराधिकारी की मौजूदगी में पुत्रियों को विरासत में उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस कारण अनुसूचित जन जाति के मृतक खातेदार के पुरूष उत्तराधिकारी अपीलांट मौजूद होने से कानूनन महिलाओं (रेस्पो.) के नाम फोती इन्तकाल नहीं खोला जा सकता है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार रामदेव मीणा की पुत्रियों रेस्पो.सं.1 लगायत 3 एवं पत्नी रेस्पो.सं.4 के नाम भी अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज कर दिये गये है जो विधि

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

विरूद्ध है। अपीलांट को अपीलधीन नामान्तरकरण की तत्समय जानकारी नहीं थी, रेस्पो.सं.1 ने बटवारां का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी में विचाराधीन वाद का सम्मन तलबी का दिनाक 15.09.15 को प्राप्त होने पर जानकारी हुई। तब अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया और दिनांक 17.9.15 को नकल हेतु आवेदन किया, दिनांक 26.10.15 को नकल प्राप्त हुई। इसके बाद अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर यह अपील अन्तर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत है, इसके बावजूद भी अगर अपील में देरी मानी जावे तो देरी कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के इस अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। वैसे अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधिविरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है। प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन आदेश को निरस्त कराने के लिए कोई समयसीमा नहीं है, ऐसे अवैध नामान्तरकरण को किसी भी समय न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में 1998 RRD page 319; 1992 RRD page 17(c), 1981 RRD page 361, 1989 RRD page 284, 1988 RRD page 61, एवं की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण में से रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम बनावटी एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण का ज्ञान पूर्व में ही था। कई बार अपीलांट रेस्पो.सं. 1 के पास अपना हकत्याग कराने के लिए आता था। लेकिन रेस्पो.सं. 1 द्वारा हक त्याग नहीं करने के कारण तथा ब्रटवारें का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहां पेश कर दिये जाने के कारण अपीलांट द्वारा शुरू से ही नामान्तरकरण की जानकारी होने के बावजूद भी बाद में यह अपील पेश की गई है। फोती इन्तकाल दिनांक 20.01.2007 को खोला गया है, अपीलांट द्वारा उसके 9 वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपीलांट ने यह अपील काफी विलम्ब से पेश की है, जिसका अपीलांट द्वारा कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया, ऐसे में इस अपील में मियाद कन्डोन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से निरस्त फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 ने बहस के दौरान आगे गुणावगुण पर तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पो.सं. 1 ने अपीलांट द्वारा यह अपील पेश करने के पूर्व ही बटवारें का एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी में पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलक्टर; बून्दी

अपीलांट को सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन वाद से ही अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए, न कि दौराने वाद इस नामान्तरकरण की कार्यवाही में। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसीडिंगहै, जिसमें अधिकारों का अन्तिम निर्धारण नहीं होता है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 एवं 3 द्वारा बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर अपनी सहमति प्रकट की गई तथा दिनांक 25.04.16 को पेश किये गये इकबालिया जवाब के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने में रेस्पो.सं. 2 एवं 3 की सहमति होना जाहिर किया गया।

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 द्वारा अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया तथा अपील मियाद बाहर पेश होना बताते हुये इसे चलने योग्य नहीं बताया है। अपील का सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर परीक्षण किया गया। इस संबंध में रेस्पो.सं.1 को आपत्ति है कि अपीलांट उक्त कृषि भूमि का सहखातेदार है, अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी 8 वर्षो तक नहीं हो पाने के क्या कारण रहे है, यह प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में कहीं भी अंकित नहीं किया गया, जबकि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है, इस प्रकार अपीलांट ने जानबूझकर अपील विलम्ब से पेश की है जो मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2007 को पारित किया गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 03.10.15 को इस न्यायालय में पेश की गयी। प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि प्रा.पत्र के साथ प्रार्थी का शपथ पत्र भी पेश हुआ है, जबकि इसके खण्डन में अप्रार्थिया की ओर से कोई शपथ पत्र पेश नहीं हुआ है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम बहादूरपुरा, तहसील बून्दी की कृषि भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 54 बीघा 18 बिस्वा पर मांग्या, रामदेव पि0 सरवण कौम मीणा निवासी बहादूरपुरा खातेदार दर्ज रेकार्ड थे। सहखातेदार रामदेव मीणा के फौत हो जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस अपीलांट को आपत्ति है कि मृतक खातेदार रामदेव जाति से मीणा है, जो अनुसूचित जनजाति में होने से उस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। ऐसे में मृतक खातेदार की पुत्रियों व पत्नी का उसकी सम्पत्ति में कोई हक अधिकार नहीं होने के कारण रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 के पक्ष में खोला गया अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में रेस्पो.सं. 1 श्रीमती जमनाबाई पुत्री रामदेव द्वारा आपत्ति प्रकट करते हुये अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु नामान्तरकरण यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया गया। जबकि शेष रेस्पो. सं. 2 व 3 द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

यहां उल्लेखनीय है कि उत्तराधिकार अधिनियम,1925 के तहत मीणा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी सम्पति में वारिसान पुत्रों को ही माना गया है पुत्रियों को हक नहीं दिया गया है। जैसा कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा (2) उप धारा (2) में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यो को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न कर दे। हस्तगत अपील में रेस्पो.सं. 1 की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ, जिससे कि उक्त विधिक प्रावधान का खण्डन किया जा सके। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 352 दिनांक 20.01.2007 ग्राम बहादूरपुरा में से "**जमनाबाई, कान्ताबाई, सुमित्राबाई पुत्रीया रामदेव**" विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 20.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रूक्मणि रियार सिहाग )
जिला कलक्टर, बून्दी
**जिला कलक्टर बून्दी**

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2019.12.13 10:46:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: